न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी— श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
27 / अपील / 2017	20.01.2017	13.08.2019

शोजी आ. हजारा जाति मीणा निवासी थलिया रानीपुरा तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.) —अपीलांट

— बनाम —

1. राजवीर आ. बजरंगा जाति मीणा निवासी विषधारी तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
2. निर्मला पुत्री बजरंगा पत्नी श्रवण जाति मीणा निवासी नाला की झोपड़िया ग्राम पंचायत दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज.)
3. श्रीमती घमला पत्नी फोरू जाति मीणा निवासी ग्राम उरासी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज.)
4. श्रीमती मैना पत्नी गिरिराज जाति मीणा निवासी थलिया मजरा रानीपुरा तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
5. प्रहलाद, देवलाल, कैलाशचंद पिसरान जगन्नाथ जाति मीणा निवासी थलिया मजरा रानीपुरा, जिला बून्दी (राज.)
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली, जिला बून्दी।
7. उपपंजीयक, दबलाना जिला बून्दी (राज.)

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम,
विरूद्व नामान्तकरण सं0 617 दिनांक 12.05.2010
ग्राम बाल, तहसील हिण्डोली।

उपस्थित—

अपीलांट की ओर से — श्री कैलाश चंद गुप्ता, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्टस की ओर से — श्री मदन लाल जैन, अभिभाषक।

—: निर्णय :—

यह अपील तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 617 दिनांक 12.05.2010 ग्राम बाल, तहसील हिण्डोली से अप्रसन्न होकर इस न्यायालय में अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम पेश की गयी

है। अपीलाधीन नामान्तकरण हजारा फौत होने से उसके उत्तराधिकारी शोजी पुत्र व भूरी पुत्री के नाम तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खातेदार हजारा वल्द किशना का स्वर्गवास होने से ग्राम बाल में स्थित कृषि भूमि कुल खसरा 10 कुल रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा का नामा. सं. 617 दिनांक 12.05.2010 अपीलान्ट शोजी एवं उसकी बहिन भूरी के पक्ष में स्वीकार किया गया है। भूरी पुत्री हजारा में अपील विषयक भूमि में से 2/10 हिस्सा रेस्पो. श्रीमती मैना से तथा 03/10 हिस्सा रेस्पो. प्रहलाद, देवलाल एवं कैलाश चंद को बेचान कर दिया है। श्रीमती भूरी का स्वर्गवास हो गया है। रेस्पो. सं. 01, 02, एवं 03 उसके उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट ने अपीलाधीन नामा. सं. 617 से व्यथित होकर यही अपील प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश नामा. वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। पक्षकारान मीणा जाति के है जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है। पक्षकारान पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। हजारा की मृत्यु के उपरान्त पुराने हिन्दू लॉ के प्रावधानों के अनुसार केवल मात्र अपीलान्ट ही पुरूष उत्तराधिकारी होने से नामा. उसी के नाम तस्दीक किया जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध रूप से मृतक हजारा की पुत्री भूरी का नाम भी खातेदार के स्थान पर दर्ज कर दिया गया जो गलत दर्ज किया गया है। स्व. भूरी द्वारा रोस्पो. मैना, देवलाल, प्रहलाद एवं कैलाश के पक्ष में किये गये बैचान भी अवैध है और उनसे कोई स्वत्व हस्तान्तरित नहीं होता है ऐसी स्थिति में नामा. अपीलाधीन निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामा. स्वीकार करने से पहले कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया इसलिये अपीलान्ट सुनवाई के वैधानिक अधिकार का हनन हुआ है। सम्पूर्ण भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूरी के वारिसान व क्रेताओ का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि के कब्जे काश्त की जांच किये बिना ही नामा. स्वीकार कर लिया है, भूरी द्वारा भूमि का बेचान किया गया भी अवैध है और अपीलान्ट के विरूद्व शून्य है। दिनांक 23.12.2016 को रेस्पो. ने अपीलान्ट को धमकी दी गई कि भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे और अपीलान्ट को बेदखल करेंगे जब अपीलान्ट को विवादित नामा. का ज्ञान हुआ उससे पहले अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी उसी दिन नामा. की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश कर दिनांक 30.12.20016 को नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। नकल प्राप्ति की तिथि से अपील अन्दरमियाद पेश है फिर भी अपील में किसी प्रकार का विलम्ब माना जावे तो उसे क्षमा किये जाने हेतु

धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम Sec. 2(2)RBJ 2002 पेज 23, आर.आर.डी. 1992 पेज 17 (C), आर.आर.डी.1998 पेज 319 (HC) की नजीरे पेश करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने एवं अपीलान्ट के नाम नामा. स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

अभिभाषक रेस्पो. ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम बनावटी व मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार होने योग्य नहीं है। अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील को पेश करने से पूर्व ही राजस्व रेकार्ड में नामा. स्वीकृत का ज्ञान था। अपील में अंकित दिनांक 13.12.2016 को मैना, देवलाल, प्रहलाद की अपीलान्ट शोजी से कोई वार्ता नहीं हुई ना ही किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई। विवादित भूमि पर रेस्पो. प्रहलाद, देवलाल, कैलाश चंद का कब्जा उनके पिता श्री जगन्नाथ जी के समय से ही लगभग 60 वर्षो से चला आ रहा है। अपीलाधीन नामा. का ज्ञान अपीलान्ट को नामा. खोले जाने के समय से ही था। अतः अपील अवधि बाधित है जो चलने योग्य नहीं है। अभिभाषक अपने बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 2017 पेज 311, आर.आर. डी. 2012 पेज 577, आर.आर.डी. 1981 पेज 685, ए.आई.आर. 2010 (SC 3051), बलवंत सिंह बनाम जगदीश सिंह की नजीरे पेश कर निवेदन किया कि अपील मियाद बाहर है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाधीन नामा. सं. 617 हजारा फौत होने से उसके उत्तराधिकारी शोजी पुत्र व भूरी पुत्री के नाम दिनांक 12.05.2010 को तस्दीक किया गया है। रेस्पो. द्वारा अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया तथा अपील मियाद बाहर पेश होना बताते हुये उसे चलने योग्य नहीं बताया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका रेस्पो. ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपील में अंकित दिनांक 23.12.2016 को रेस्पो. द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा करने की बात कही है। जबकि रेस्पो. से वार्ता उक्त दिनांक को नहीं हुई है। विवादित भूमि पर रेस्पो. प्रहलाद, देवलाल, कैलाश चंद का उनके पिता जगन्नाथ के जमाने से ही लगभग 60 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट मृतक हजारा का पुत्र है तथा भूरी मृतक हजारा की पुत्री है जो विवादित भूमि में हितबद्व पक्षकार है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2010 को पारित किया गया है। जिसकी अपील अपीलान्ट ने दिनांक 16.01.2017 को इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की

जानकारी 06 वर्षो तक नहीं हो पाने के क्या कारण रहे है। यह प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम में कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। इस संबंध में रेस्पो. को आपत्ति है कि विवादित कृषि भूमि के अपीलान्ट व रेस्पो. सह खातेदार है। अपीलान्ट को अपीलाधीन नामा. की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि इसमें अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई विश्वसनीय कारण अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र में मात्र दिनांक 13.12.2016 को रेस्पो. द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी गई है। अंकित किया है जिसके भी कोई ठोस प्रमाण रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई हो आदि अंकित नहीं किया गया है। ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन नामा. की जानकारी दिनांक 23.12.2016 से पूर्व में रही है। अपीलान्ट प्रार्थना पत्र धारा 05 में अपील के विलम्ब का कोई समुचित एवं संतोषजनक कारण पेश करने में पूर्णतया असफल रहे है। ऐसे में अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलान्ट मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)